



Neutral Citation No.- 2026:AHC:17500

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-46075 वर्ष 2025

मोन् सिंह @ धीरेंद्र सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, रितेश सिंह, सुरेश सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मयंक उपाध्याय

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री रितेश सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री मयंक उपाध्याय और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2015 के केस अपराध संख्या-86 से उत्पन्न 2015 के सत्र विचारण संख्या-299 में धारा 147, 376, 511, 294, 326ए, 302 भ०द०वि० और 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना-सिकारीगंज, ज़िला: गोरखपुर के तहत दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आवेदक 18.9.2025 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि प्रस्तुत मामले में मृत्युपूर्व घोषणा है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को मृतक द्वारा नामित किया गया है, जिसे आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई थी। मामला वर्ष 2015 का है और आवेदक को वर्ष 2025 में गिरफ्तार किया गया था जब उसने 18.9.2025 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। यह भी कहा गया है कि दो गवाहों से पूछताछ की गई है और उन्होंने मृत्युपूर्व घोषणा में लगाए गए आरोपों को भी दोहराया है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तुत मामले में एक मृत्युपूर्व घोषणा है, जिसके तहत आवेदक को मृतक द्वारा नामित किया गया है और यह कि जांच किए गए गवाहों ने मृत्युपूर्व घोषणा में लगाए गए आरोपों को दोहराया है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

7. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 27, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)